भारत में दबाव समूह
[PRESSURE GROUPS IN INDIA]

"दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है।"[1] —फाइनर

परिचय (Introduction)—मनुष्यों के विचारों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। जब एक समान विचार वाले व्यक्ति अपने हितों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाकर उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तब इसी संगठित संघ को हम समूह की संज्ञा देते हैं। आधुनिक जटिल समाजों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि समान हित वाले व्यक्ति अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए अपने को समूह के रूप में संगठित कर लेते हैं—ऐसे समूहों को ही हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है।

दबाव समूह व हित समूहों का अध्ययन राजनीतिक दलों के अध्ययनों के समकालीन समय से ही प्रारम्भ है। वर्तमान लोकतंत्रीय समाज में इनके अध्ययनों की लोकप्रियता एवं महत्व बढ़ा है। विकसित, विकासशील अथवा अविकसित विश्व के सभी समाजों में दबाव समूह पाये जाते हैं। दबाव-समूह का विकास अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था की देन माना जाता है। दबाव समूह अमरीकी गणतंत्र की स्थापना के साथ ही पैदा हो गये थे, लेकिन इनकी स्पष्ट भूमिका 20वीं शताब्दी में प्रकाश में आयी। दबाव-समूहों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विचारक **चर्चिल** ने एक बार ब्रिटिश लोक सभा कहा था, "हम से यह आशा नहीं की जाती है कि हम सब एक शालीन सभा के ऐसे सदस्य हैं जिनका अपना कोई विशिष्ट हित नहीं है, यह हास्यास्पद है। यह केवल स्वर्ग में ही संभव हो सकता है, यहाँ नहीं।" इस बात से यह स्पष्ट होता है कि दबाव समूह या हित समूह सार्वभौमिक रूप से विश्व की हर व्यवस्थाओं में पाये जाते रहे हैं। 1908 में प्रकाशित **ऑर्थर बेण्टले** की पुस्तक *'दि प्रोसेस आफ गवर्नमेंट'* से दबाव समूहों या हित समूहों का विधिवत अध्ययन प्रारम्भ माना जाता है।

विभिन्न विद्वानों ने दबाव समूह को अलग-अलग नामों से संबोधित किया है। बहुलवादियों ने दबाव समूह को केवल 'समूह' कहा है। **गैब्रियल आमण्ड, रोमन कोर्कोविज** तथा **हिचनर** एवं **हर्वोल्ड** आदि ने इसे हित समूह कहना उचित माना है। जे. सी. जोहरी ने इसे हित समूह व दबाव समूह दोनों नामों से सम्बोधित किया है। कुछ विद्वानों ने इसे 'दीर्घा समूह' (Lobby Groups) कहा है। इन समूहों को कोई भी नाम दिया जाये, इनमें 'दबाव समूह' अधिक प्रचलित और उपयुक्त शब्द प्रतीत होता है। **वी. ओ. की., हैरी एकस्टीन, पिनाक** और **स्मिथ** आदि ने इसे 'दबाव समूह' कहना ही पसंद किया है। वस्तुतः शासन की नीतियों व उसके निर्णयों को प्रभावित करने से संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समूहों के प्रयासों का जब अध्ययन किया जाता है, तो इसका आशय 'दबाव' शब्द से ही स्पष्ट होता है, क्योंकि इस शब्द से उनके भिन्न-भिन्न व विविध प्रकार के प्रयास तथा उनकी सारी चेष्टाओं व प्रक्रियाओं का बोध होता है। अतः इसे दबाव समूह कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

परिभाषाएं (Definition)—दबाव समूह की परिभाषाएं अग्रलिखित हैं—

1 "Pressure groups are the anonymous empire."

—Finer

Scanned with CamScanner

हिचनर एवं हवॉल्ड के अनुसार, "राजनीतिशास्त्र में हित समूह या दबाव समूह का अभिप्राय समान उद्देश्य वाले गैर-सरकारी लोगों के ऐसे किसी समूह से होता है जो राजनीतिक कार्यवाही द्वारा सरकारी नीति को प्रभावित करके अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। यदि और अधिक सरल शब्दों में कहा जाये तो वह समूह, जो सरकार से कुछ अपेक्षा रखता है, हित समूह कहलाता है।

मायनर वीनर के शब्दों में, "दबाव समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे समुदाय से है जो प्रशासकीय ढाँचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है।"

ऑडेगार्ड के अनुसार, "एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हों और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करें कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके।"

वी. ओ. की. के अनुसार, "हित-समूह ऐसे असार्वजनिक संगठन हैं जिनका निर्माण सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये प्रत्याशियों के चयन तथा सरकार के व्यवस्थापन के उत्तरदायित्व की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न करके अपने हित-साधन में लगे रहते हैं।"

एच. जेगलर के अनुसार, "यह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के संदर्भ को, सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किये बिना भी प्रभावित करना चाहता है।"

फ्रांसिस जी. कैसल्स के शब्दों में, "दबाव समूह वह समूह है जो प्रशासनिक कार्यों के द्वारा राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह समूह स्वयं राजनीतिक दल नहीं होता क्योंकि उसे व्यवस्थापित दलों की तरह प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।"

आमण्ड एवं पावेल के अनुसार, "हित समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जो आपस में कार्य-व्यापार तथा लाभ के बन्धनों से जुड़े हैं और जिन्हें इन बन्धनों की जानकारी भी रहती है। हित-समूह संगठित भी हो सकते हैं अर्थात् समूह के सदस्य उन कार्यों को करते हैं जो हित-समूह में रहकर उन्हें करने चाहिए या यह भी हो सकता है कि व्यक्तियों में हित समूह की चेतना सामयिक और विरामी हो।"

हैनरी डब्ल्यू. एहर पैन के शब्दों में, "दबाव समूह वह ऐच्छिक समिति है जिसके सदस्य किसी हित के बचाव के लिए परस्पर सम्बद्ध हैं।"

स्टीफेन एल. वेस्बी के अनुसार, "वर्तमान समाजशास्त्रियों की भाषा में समान व्यक्तियों के एकत्रीकरण से कोई भी व्यवस्थित अन्तःक्रिया एक समूह का निर्माण करेगी और क्रिया हित की ओर संकेत करेगी। इस आधार पर यद्यपि औपचारिक रूप से संगठित अनेक हित-समूह हैं तथापि हम अनेक और भी जोड़ सकते हैं तथा राजनीतिक प्रक्रिया में और उस पर उसके प्रभाव की पूर्ण जानकारी के लिए उनका भी अध्ययन आवश्यक है।"

इस प्रकार दबाव समूह से अभिप्राय ऐसे गुटों से है जो शासन पर अधिकार किये बिना विधायकों और प्रशासकों की नीति तथा कार्य को प्रभावित करते हैं।

दबाव समूह के लक्षण

दबाव गुटों के निम्नलिखित लक्षण पाये जाते हैं—

1. सीमित उद्देश्य—दबाव गुटों का उद्देश्य सदैव सार्वजनिक हित के स्थान पर अपने सदस्यों का हित या कल्याण करना होता है। जब उनका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, तो या तो वे समाप्त हो जाते हैं या निर्जीव हो जाते हैं। ऐसे समूहों का संगठन, औपचारिक, अर्द्ध-औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकता है। कुछ अनौपचारिक संगठन भी इतने शक्तिशाली और प्रभावी होते हैं कि कोई शासन या समूह उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता है।

2. सीमित सदस्यता—दबाव गुटों का उद्देश्य सीमित होता है। किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा और पूर्ति करना उनका उद्देश्य होता है इसलिए उनकी सदस्यता भी सीमित होती है, अर्थात उसी वर्ग विशेष के व्यक्ति ही इसके सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्यता मात्र श्रमिक वर्ग को ही प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

3. संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग—दबाव गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों या असंवैधानिक साधनों का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर लेते हैं। विधि-निर्माताओं को धमकी देना, घूस देना, प्रलोभन देना, खुशामद करना, डराना, निर्वाचन के लिए धन देना, हत्या करना आदि सभी साधनों का प्रयोग अवसर के अनुरूप कर सकते हैं। दबाव गुटों का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। चाहे इसके साधन उचित हों, या अनुचित, पवित्र हों या अपवित्र, संवैधानिक हों या असंवैधानिक, इसकी चिन्ता वे कभी नहीं करते हैं।

4. शासन एवं विधानमण्डल से बाहर—दबाव समूह न तो शासन में भागीदार होते हैं, न चुनावों में भाग लेते हैं, न विधानमण्डल में आना चाहते हैं, परन्तु उसके बिना ही वे अपनी नीति के लिए बाहर से विधायकों को प्रभावित करते हैं। वे शासन के उत्तरदायित्व से दूर रहकर दबाव की नीति में विश्वास करते हैं।

5. संगठित या असंगठित स्वरूप—दबाव गुटों का स्वरूप संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी। उनकी कार्य-प्रणाली गुप्त और रहस्यमय होती है, इसलिए ये अज्ञात साम्राज्य कहे जाते हैं।

6. दबाव समूह पूँजीवादी राष्ट्रों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिक फलीभूत होते हैं। औद्योगिक देशों में उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है।

7. दबाव गुटों का सम्बन्ध सदैव अपने वर्ग के सदस्यों के हितों से होता है। उनकी रक्षा और पूर्ति ही उनके जीवन-मरण का प्रश्न होता है।

दबाव समूह के उदय के कारण

आधुनिक युग में दबाव गुटों के उदय के निम्नलिखित कारण हैं—

1. औद्योगिक सभ्यता का विकास—औद्योगिक सभ्यता ने अनेक नये उद्योगों, पेशों, कारखानों को जन्म दिया है। अतः समाज के सदस्य विभिन्न वर्गों एवं समूहों में बँट गये हैं। प्रत्येक समूह या वर्ग अपने हितों की रक्षा, उनकी वृद्धि और पूर्ति चाहता है। परन्तु यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक वर्ग शासन पर अपना अधिकार कर ले। इसलिए वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, दबाव समूह के माध्यम से अपना कार्य करता है।

2. राज्य के कार्यों में वृद्धि—औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ-साथ राज्य के कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य का कार्य-क्षेत्र राजनीतिक दायरे में ही सीमित न रहकर आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में पूरी तरह छा गया है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक और आवश्यक भी है कि विभिन्न हितों के लोग अपने-अपने हितों की पूर्ति करने के लिए दबाव गुटों का गठन करें जिससे राज्य की नीति और कार्यों को अपने पक्ष में करा सकें।

3. लोकतंत्र का व्यावहारिक स्वरूप—सिद्धान्त में यह भी आशा की गयी थी कि लोकतन्त्र में जनता, राजनेता और राज्य के कर्णधार सम्पूर्ण समाज के हितों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं हुआ। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग और समूह अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य करता है, अतः प्रत्येक राज्य में विभिन्न हितों का संघर्ष और प्रतिस्पर्धाओं का दौर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह का संगठन आवश्यक है।

4. राजनीतिक दलों का व्यावहारिक स्वरूप—राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली भी दबाव समूह के जन्म के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक दलों के हित सार्वजनिक होते हैं। वे शासन पर अधिकार करना चाहते हैं इसलिए वे कुछ विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और यदि करते हैं तो शासन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए वे विशिष्ट हितों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दबाव समूहों का पनपना स्वाभाविक है।

5. प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली—विधानमंडलों के लिए निर्वाचन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। परन्तु मतदाताओं के हित भौगोलिक हितों के अतिरिक्त अन्य हितों से; जैसे—व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि से जुड़े रहते हैं। एक ही व्यवसाय के लोग राज्य भर में होते हैं। इस प्रकार के लोगों को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से लाभ नहीं होता है अतः अपने व्यवसाय के आधार पर उन्हें अपने हितों के रक्षार्थ दबाव गुटों के रूप में संगठित होना पड़ता है।

Scanned with CamScanner

6. पेशेवर राजनीतिज्ञों की संख्या में वृद्धि—प्रत्येक देश में बरसाती मेढकों की तरह पेशेवर राजनीतिज्ञ पैदा हो रहे हैं। जो व्यक्ति किसी उद्योग-धन्धे, काम या व्यवसाय को परिश्रम, धैर्य और लगन से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए राजनीति सबसे अच्छा धन्धा है। आज राजनीति का महत्व भी बढ़ गया है इसलिए कुछ व्यक्ति इसमें आना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं उनें किसी भी व्यवसाय से लगाव नहीं होता है।

दबाव समूहों के साधन और तरीके

[MEANS AND METHODS OF PRESSURE GROUPS]

विश्व के प्रत्येक दबाव-समूहों के अपने-अपने उद्देश्य और कार्य करने के तरीके होते हैं। सामान्यतः इनके द्वारा अपनाये जाने वाले साधनों को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. संगठन (Organisation)—विश्व के प्रत्येक दबाव-समूहों का अस्तित्व इसलिए है कि उनका निर्माण सदस्यों के संगठन पर आधारित होता है। संगठन में ही शक्ति होती है। इन्हीं संगठनों के माध्यम से विभिन्न दबाव व हित समूहों को ताकत मिलती है। हालांकि विभिन्न देशों में असंगठित दबाव समूहों के भी उदाहरण मिलते हैं।

2. प्रकोष्ठ-क्रिया (Lobbying)—दबाव-समूहों को कार्य करने का सबसे सुपरिचित तरीका 'लॉबिइंग' है। अमरीका में यह काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। वहाँ प्रत्येक व्यवस्थापिका-सदन के साथ लगे हुए कमरे के बरामदे लाबी व प्रकोष्ठ कहे जाते हैं। वहाँ विधायक अवकाश के समय आकर बैठते हैं और वहाँ दबाव समूहों के प्रतिनिधि उनसे अपना सम्पर्क स्थापित करते हैं। अधिकांश दबाव-समूह अपने वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा 'लॉबिइंग' का काम करते हैं।

3. सामूहिक प्रचार (Mass Propaganda)—अपने हितों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न दबाव समूहों या हित समूहों द्वारा सामूहिक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। इसके लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है।

4. पत्र-पत्रिकाएँ (Paper and Magazines)—दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। ये पत्रिकाएँ मासिक, पाक्षिक व वार्षिक हो सकती हैं। इनमें दबाव-समूह अपने संगठन व कार्यक्रमों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर एक ओर अपने पक्ष में जन-समर्थन या जनमत तैयार करते हैं। दूसरी ओर शासन की नीतियों की कमियों को भी जनता के सम्मुख प्रकाशित करते हैं। परिणामस्वरूप सरकार को अपने हितों के अनुकूल नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा पोषित 'पाँचजन्य' समाचार-पत्र, विश्व हिन्दू-परिषद् की 'देवपुत्र' मासिक पत्रिका आदि।

5. राजनीतिक दलों के अन्दर क्रियाशील रहना (Working inside Political Parties)—प्रायः संगठित दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दलों से 'साँठ-गाँठ' रखते हैं और ये समूह अपने हित-साधन के लिए इन राजनीतिक दलों का लाभ उठाते हैं तथा अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। वर्तमान में दबाव समूहों को राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है।

6. चुनाव में भाग लेना (Electioneering)—दबाव समूहों का चुनाव से सम्बन्ध नहीं होता और न ही ये अपना प्रत्याशी ही खड़ा करते हैं किन्तु ये किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देने के पक्ष में सदैव रहते हैं। ये दबाव समूह इन दलों के चुनाव में धन, बल तथा कानून-शक्ति की मदद करते हैं और बदले में अपने हितों को पूरा कराने का इन दलों से आश्वासन प्राप्त करते रहते हैं। भारत में अखिल भारतीय श्रमिक संघ (A.I.T.U.C.) समाजवादी दलों से तथा भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ (I.N.T.U.C.) कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित दबाव समूह है।

7. हड़ताल तथा प्रदर्शन (Strike & Demonstration)—दबाव समूह अपने हित की रचना के लिए हड़ताल व प्रदर्शन आदि साधन अपनाते हैं। बहुधा श्रमिक संघ औद्योगिक कार्यों में संलग्न कर्मचारी की माँगों के समर्थन में हड़ताल आदि कराते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दबाव समूह इस साधन का प्रयोग सामान्यतः राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही करते हैं। इसके साथ ही वे सरकार पर दबाव डालने के लिए कभी-कभी प्रदर्शनों का भी आयोजन करते हैं। वर्तमान में हड़ताल व प्रदर्शनकारी दबाव समूहों की संख्या में वृद्धि हुई है।

Scanned with CamScanner

8. हिंसा (Violence)—दबाव समूह का एक महत्वपूर्ण साधन हिंसा भी है। हड़ताल की असफलता के कारण दबाव समूह यदा-कदा हिंसा का सहारा भी लेते हैं। बिहार में कोयला तथा अन्य खानों के श्रमिकों के बीच पारस्परिक हितों की टकराहट के कारण हमेशा हिंसात्मक झगड़े होते रहते हैं। यूरोपीय देशों में श्रमिक के दबाव समूहों द्वारा सर्वाधिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है।

9. अहिंसक सविनय अवज्ञा (Non-violent Civil Disobedience)—अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दबाव-समूहों का एक साधन होता है। महात्मा गांधी ने इस साधन का प्रयोग करके ही देश को आजादी दिलायी थी। अमरीका में नीग्रो आंदोलन का एक साधन अहिंसात्मक अवज्ञा आन्दोलन रहा है। भारत के दबाव समूहों द्वारा इसका प्रयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप यहाँ कई जन-कल्याण की योजनाएँ खटाई में पड़ जाती हैं। मेधा पाटकर और सुन्दरलाल बहुगुणा का टिहरी बाँध निर्माण के संबंध में आन्दोलन इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

10. न्यायालयों द्वारा दबाव (Pressure through the Courts)—आज दबाव समूह अपने हित के लिए न्यायालयों का सहारा लेने लगे हैं। जरा-सी बात को लेकर आये दिन शासन के किसी कार्य को न्यायालय में चुनौती देना इनका पेशा बन गया है। ये हित समूह ऐसे नियमों का विरोध करते हैं जो उनके हितों के विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए, आरक्षण वृद्धि के लिए, आदिवासियों या अल्पसंख्यकों द्वारा न्यायालय की शरण में जाना।

11. गोष्ठियाँ आयोजित करना (To organise Conferences)– अनेक हित-समूह या दबाव समूह विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करके जन सामान्य तक शासन विरोधी बातों को पहुँचाते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनमत इनके पक्ष में होता है तथा गोष्ठियों, भाषणों, वाद-विवादों एवं वार्ताओं के माध्यम से ये शासन को अपने हित पूर्ति के लिए बाध्य करने को मजबूर करते हैं।

12. आंकड़ों को प्रकाशित करना (Data Publication)—नीति-निर्माताओं के समक्ष ये दबाव समूह शासन संबंधी विश्वसनीय आंकड़ों को एकत्रित कर शासन को उनसे अवगत कराते हैं तथा ऐसे आंकड़ों को समाचार या अन्य माध्यमों से प्रकाशित कर अपना पक्ष मजबूत करते हैं। शासन इन आंकड़ों के प्रकाशनों को गम्भीरता से सोचता है और इन समूहों के हितों का ख्याल रखने का प्रयास करता है।

13. दबाव समूह और कर्मचारी तंत्र (Pressure Groups and Bureaucracy)—विश्व के प्रत्येक गुट समूहों में कर्मचारी संघों ने शासन पर दबाव डालने की परम्परा बरकरार रखी है। आज प्रत्येक कर्मचारी संगठनों द्वारा अपने-अपने हित के लिए शासन पर दबाव डालकर उनसे अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। भारत या अमरीका जैसी संघात्मक शासन-व्यवस्था हो या ब्रिटेन जैसी एकात्मक शासन-प्रणाली, ये दबाव समूह सर्वत्र एक समान भूमिका निभाते हैं। वे सभी आयकर की माफी के लिए, कभी निर्यात लाइसेन्सों की मंजूरी के लिए और कभी किसी प्राइवेट चैरिटेबल संस्था के लिए आवश्यक सरकारी स्वीकृति के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों पर दबाव डालते हैं।

दबाव समूह के कार्य
[FUNCTIONS OF PRESSURE GROUPS]

दबाव समूह का महत्व आज इतना अधिक बढ़ गया है कि कहीं तो उन्हें शासक निर्माता (king maker) कहा जाता है तो कहीं विधानमंडल के पीछे विधानमण्डल (Legislature behind the legislature) कहा जाता है। कहीं संसद का तृतीय सदन (Third Chamber of the Parliament) कहा जाता है तो कहीं अज्ञात साम्राज्य (Anonymous empire) कहा जाता है और कहीं दलों के पीछे रहने वाली जनता (The living public behind the parties) कहा जाता है। इनके कार्यों के कारण ही इतना महत्व इनको दिया जाता है। इनके कार्य निम्नलिखित हैं—

1. शासन की तानाशाही से जनता की रक्षा करना—कल्याणकारी राज्य के नाम पर अब राज्य का कार्य-क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। शासन में शक्तियों का केन्द्रीकरण हो गया है। शासन की इस केन्द्रीकरण के कारण तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो गयी है। इस तानाशाही से दबाव समूह ही जनता की रक्षा करते हैं। उदाहरण

Scanned with CamScanner

के लिए अमरीका में नीग्रो को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए वहाँ के 'दी नेशनल ऐसोसिएशन फॉर दी एडवान्समेण्ट ऑफ कलर्ड पीपिल एण्ड वोमेन' ने बहुत कार्य किया।

2. शासन की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास—जब शासन की नीतियों का निर्धारण होता है या कानून बनाने का अवसर आता है, तब ये गुट शासन पर दबाव डालकर उन नीतियों या कानूनों को अपने हितों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस कार्य के लिए वे स्वयं भी कार्य करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक दलों का भी सहारा लेते हैं।

आलमण्ड ने कहा है कि, "हित समूह व्यवस्थापिका में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण अवसरों की तलाश में रहते हैं जिससे अधिक से अधिक दबाव डाला जा सके। वे अवसर हैं, जब व्यवस्थापिका की नीति का श्रीगणेश होता है, उनको दोहराया जाता है, उन पर मतदान होता है और उचित निर्णय लिया जाता है।"

3. सार्वजनिक अधिकारियों पर निगरानी रखना—दबाव समूह सार्वजनिक अधिकारियों पर आवश्यक अंकुश रखते हैं। देश के सभी नागरिक तो यह कार्य नहीं कर सकते हैं लेकिन दबाव समूह उनके कार्यों पर निगरानी रखकर उन्हें सही रूप से कार्य करने को मजबूर कर देते हैं। यह कार्य अधिकारियों और जनता—दोनों के हित के लिए है क्योंकि अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि जनता की समस्याएँ क्या हैं ? दबाव समूह जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाकर जनहित में कार्य करते हैं।

4. समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना—आज समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना, समाज को विघटन से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह कार्य दबाव समूह ही करते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग अपनी निरंकुशता अन्य वर्गों पर नहीं लाद पाते हैं, क्योंकि समाज के अन्य वर्गों में प्रतियोगिता होने लगती है। व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, जातीय वर्ग आदि अपने-अपने दबाव समूह के माध्यम से अपने हितों को प्राप्त करना चाहते हैं और जब उनके हित आपस में टकराते हैं तो उनमें सामंजस्य होना आवश्यक होता है, जिससे समाज की प्रगति होती है।

5. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के चयन में हस्तक्षेप करना—दबाव समूह इस बात का पूर्ण प्रयास करते हैं कि चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार अधिकतर उनके वर्गों से लिये जायें जिससे वे उनके हितों की रक्षा कर सकें। इस बारे में अमरीका के जीवन बीमा निगम के अध्यक्षों के संघ के लिए निर्वाचित एक प्रतिनिधि ने अपने उच्च अधिकारी को लिखा था, "हमारी पद्धति यह है कि चुनाव से पूर्व हम कुछ प्रत्याशियों में रुचि लेते हैं, निर्वाचित होने में उनकी मदद करते हैं, और तब हम उनके अहसानमन्द हों, इसके बजाय वे हमारे अहसानमन्द होते हैं, यही हमारी सफलता का रहस्य है।"

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह

दबाव समूहों के सबसे अधिक घनिष्ठ एवं उलझे हुए सम्बन्ध राजनीतिक दलों से होते हैं। श्रमिक, युवक, नारी, दलित, व्यावसायिक आदि के संगठनों में राजनीतिक दल भी रुचि लेते हैं। ये वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा चाहते हैं। राजनीतिक दल स्वयं भी कुछ दबाव समूहों में अपनी रुचि दिखाते हैं और कुछ दबाव समूहों का निर्माण राजनीतिक दलों की पहल पर होता है। इंग्लैण्ड का श्रमिक दल अनेक श्रमिक संगठनों से मिलकर बना है। अतः राजनीतिक दल दबाव समूहों से बनते हैं। अतः दोनों में सम्बन्ध होने स्वाभाविक हैं, दोनों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। परन्तु दोनों में कुछ अन्तर भी हैं।

राजनीतिक दल और दबाव गुटों में निम्नलिखित अन्तर हैं—

1. राजनीतिक दलों का लक्ष्य चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना होता है जबकि दबाव गुट चुनाव और सत्ता के चक्कर में न पड़कर केवल विधायकों, सार्वजनिक अधिकारियों को अपने हित में प्रभावित करना चाहते हैं।
2. राजनीतिक दलों का आधार राष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय हित उनके कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। वे राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय या कुछ दल क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े रहते हैं जबकि दबाव गुटों का सारा कार्यक्रम अपने वर्ग से सम्बन्धित होता है।

Scanned with CamScanner

3. राजनीतिक दलों का संगठन व्यापक होता है। उसकी सदस्य संख्या लाखों में होती है, दबाव गुट के सदस्य सिर्फ उस वर्ग के लोग होते हैं जिसका वह संगठन होता है।

4. राजनीतिक दल संगठित होते हैं। उनका अपना संविधान होता है। उनकी नीति, कार्यक्रम निश्चित होते हैं, वे मान्यता-प्राप्त होते हैं जबकि दबाव गुट संगठित, असंगठित, मान्यता प्राप्त, अमान्यता प्राप्त हो सकते हैं।

5. राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का ही सहारा लेते हैं जबकि दबाव गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित-अनुचित किसी भी प्रकार के साधनों का सहारा ले लेते हैं।

6. राजनीतिक दल सदैव क्रियाशील रहते हैं चुनावों के समय उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है लेकिन उसके बाद भी सरकार की नीति, जनमत आदि का ध्यान रखते हैं और जब भी आवश्यकता समझते हैं वे आन्दोलन या प्रदर्शन आदि का सहारा ले लेते हैं लेकिन दबाव समूह केवल अपने उद्देश्य-पूर्ति के लिए कार्य करते समय ही क्रियाशील रहते हैं।

न्यूमैन ने राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि, "दबाव समूह मूलतः ऐसे एक जातीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। एक हित समूह तभी सशक्त एवं प्रभावशाली बनता है जब उसका कोई सुस्पष्ट विशेष उद्देश्य होता है। इसके विपरीत, राजनीतिक दल पद प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और नीति सम्बन्धी निर्णयों को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे बहुजातीय समूहों को एकीकृत करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक समाज के अन्तर्गत विद्यमान विभिन्न शक्तियों में मेल स्थापित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उनका काम एकीकरण करना है, जो हित-समूहों के क्षेत्र में नहीं आता।"

इस प्रकार दबाव गुट और राजनीतिक दल में बहुत अन्तर हैं।

दबाव गुट और लॉबी—दबाव गुट और लॉबी (Lobbies) में अन्तर हैं। दबाव गुट अपने हितों की पूर्ति के लिए जनमत और विधायकों दोनों पर निर्भर रहते हैं जबकि लॉबी का सम्बन्ध सिर्फ विधायकों से ही होता है। लॉबी आवश्यकता पड़ने पर किसी विधेयक को पास कराने या न कराने का सरसक प्रयास विधायकों के माध्यम से करती है, इसका सम्बन्ध जनमत से नहीं होता है।

भारत में दबाव समूह

[PRESSURE GROUPS IN INDIA]

भारत में दबाव समूहों का निर्माण स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही आरम्भ हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी जिसका तब उद्देश्य राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार से अधिकतम सुविधाएँ प्राप्त करना था। कोलकाता में 'इण्डिया लीग' नामक संस्था की स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से यह माँग करना था कि भारतीय लोक सेवा में भारतवासियों के लिए स्थानों की संख्या बढ़ायी जाये तथा इस सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा को बढ़ाया जाये। 1920 में गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नयी दिशा दी। उन्होंने कृषक तथा श्रमिक वर्ग को संगठित कर कांग्रेस के आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप दिया। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व श्रमिक संगठनों का निर्माण हो चुका था। **लथानिया तथा जैन** के शब्दों में, "1908 में मुम्बई में श्रमिक आन्दोलन तेज हुआ और एक वर्ष में सात ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई। 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेड यूनियन 'ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' संगठित हुई, जिसका अध्यक्ष कांग्रेस दल के तात्कालीन अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। 1936 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का एक संगठन 'ऑल इण्डिया किसान सभा' स्थापित हुई जिसे कांग्रेस का निर्देशन तथा समर्थन प्राप्त था। इस संस्था की ओर से जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि के पुनर्वितरण की माँग की गयी।"

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में दबाव गुटों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ी, जिसका कारण वयस्क मताधिकार, राजनीतिक समानता, सरकार के कार्यक्षेत्र में विस्तार तथा संविधान द्वारा भाषण, प्रेस तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता के अधिकारों का दिया जाना था। भारत के संविधान में सत्ता का स्रोत जनता को माना

Scanned with CamScanner

ा और सरकार के निर्माण का अधिकार जनता को प्रदान किया गया। प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली की पना के कारण राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक क्रियाशील हो गये और व्यावहारिक ीति में जनसाधारण के भाग लेने के कारण स्वयं राजनीतिक दलों ने विभिन्न वर्गों को हितों के आधार पर ठित करना आरम्भ किया। अत: भारत में व्यावसायिक, श्रमिक, व्यापारिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक हितों प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का निर्माण हुआ।

भारतीय दबाव समूहों की स्थिति उतनी प्रभावशाली नहीं कही जा सकती जितनी पाश्चिमी देशों के दबाव हों में देखी जाती है। भारत में दबाव गुटों का प्रभाव प्रशासन से कुछ सुविधाएँ प्राप्त करने तक सीमित है, ये सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने की सामर्थ्य नहीं रखते। भारतीय समाज परम्परागत और ुनिकता की विशेषताओं से युक्त रहा है। इसलिए यहाँ के दबाव समूहों में पश्चिमी और भारतीय दोनों पाये जाते हैं।

भारतीय दबाव समूहों की विशेषताएँ
[CHARACTERISTICS OF INDIAN PRESSURE GROUPS]

डॉ. रजनी कोठारी ने भारतीय हित समूहों अथवा भारतीय दबाव समूहों की प्रकृति व विशेषताओं का ाख किया है, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(1) भारत में विभिन्न हित समूहों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। सरकार के द्वारा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास की गति तय होती है। अत: भारत के दबाव समूह कहीं न कहीं राजनीतिक दलों का सहारा अवश्य लेते हैं।

(2) इस प्रकार भारत में विभिन्न हित समूहों का हित वर्गों का संगठन स्वतन्त्र व पृथक् न होकर राजनीतिक दलों के गठबन्धन से हुआ है।

(3) भारतीय दबाव समूहों में अधिकांशत: परम्परात्मक आधार पर निर्मित वे समूह हैं जो किसी विशेष जाति व परिवार से सम्बन्धित होते हैं। व्यापार और उद्योगों के सिलसिले में पुश्तैनी दबाव समूह अधिकतर पाये जाते हैं।

(4) भारत के दबाव समूहों का आधार हित व वर्गों की अपेक्षा जातीयता पर अधिक रहता है। भले ही आर्थिक व सामाजिक विकास बाधित होता हो, यहाँ पर जाति के आधार पर गुट या हित समूह तेजी से पनपने लगते हैं।

(5) भारतीय दबाव समूहों को राजनीति में महत्व कम दिया जाता है तथा राजनीति में इन्हें भाग लेने से रोका भी जाता है और यदि ये भाग लेते भी हैं तो राजनीतिक दलों के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

(6) कभी-कभी इन दबाव समूहों से क्षति भी उठानी पड़ती है। **रजनी कोठारी** का कहना है कि आर्थिक माँगों को यदि राजनीतिक ढंग से नहीं उठाया जाता है। तब दबाव समूहों द्वारा आन्दोलन व हिंसात्मक रूप से अपनाया जाता है। वे प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा उपद्रव उत्पन्न करते हैं।

(7) भारतीय दबाव समूहों की प्रकृति पाश्चात्य देशों के दबाव समूहों की प्रकृति से भिन्न होती है।

(8) राजनीतिक और सामाजिक चेतना में वृद्धि से दबाव समूहों में भी वृद्धि होती है।

(9) भारत में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दबाव या हित समूह पाये जाते हैं।

(10) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन दबाव समूहों को चुनाव हेतु प्रयोग किया जाता है।

रॉबर्ट एल. हार्डग्रेव ने भारत में दबाव समूहों की निम्नलिखित विशेषताएँ बतलायी हैं—

(i) भारतीय दबाव समूहों का विकास धीमी गति से हुआ है जो दबाव समूह हैं, वे काफी दुर्बल हैं।

(ii) दबाव समूहों की शासन तक पहुँच कम है इसका कारण दबाव समूहों का कमजोर होना है।

(iii) कांग्रेस दल के भीतर पाये जाने वाले विभिन्न गुटों ने विशिष्ट हितों के लिए एजेण्ट के रूप में कार्य किया।

Scanned with CamScanner

(iv) भारतीय जनता में राजनीतिक बल की कमी के कारण यहाँ के सरकारी पदाधिकारी भी अनुत्तरदायी और भ्रष्ट हैं। हार्डग्रेव के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों में भी दबाव समूहों की गतिविधियों के प्रति सदैव एक भययुक्त वातावरण बना रहता है।

भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण

[CLASSIFICATION OF INDIAN PRESSURE GROUPS]

भारत में दबाव समूह देश, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉरिस जोन्स के शब्दों में, "यदि भारतीय शासन व्यवस्था को सांगोपांग समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी एवं अपरिहार्य है।" भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

आमण्ड और पावेल के अनुसार—आमण्ड और पावेल ने भारतीय दबाव समूहों को चार समूहों में विभाजित किया है—

1. संस्थानात्मक दबाव समूह (Institutional Pressure Groups)

संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमण्डलों, सेना, नौकरशाही में प्रभावशाली होते हैं। ये औपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत रूप से क्रियाशील रहकर अपने हितों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये दबाव समूह निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न भाग होते हैं। संस्थात्मक दबाव समूह में प्रमुख हैं —कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केन्द्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही और सेना।

2. समुदायात्मक दबाव समूह (Associational Pressure Groups)

ये दबाव समूह विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाये जाते हैं। ये आधुनिक भारत में भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें प्रमुख हैं— श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, कृषक समुदाय, छात्र समुदाय, कर्मचारी संघ, साम्प्रदायिक संघ।

श्रमिक संघों का उद्देश्य श्रमिकों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृतिक हितों की रक्षा करना होता है। श्रमिक संघों ने सरकारी नीतियों को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। इनमें मुख्य हैं— भारतीय मजदूर संघ, यूनाइटेड कांग्रेस, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AINTUC)।

इस समय 'ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' तथा 'यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' साम्यवादी दलों के नियन्त्रण में हैं, 'हिन्द मजदूर सभा' पर समाजवादी दलों का नियन्त्रण है और 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' पर कांग्रेस दल का स्वामित्व है। इन चारों संघों में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। जिसकी सदस्य संख्या अन्य संघों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। निम्न तालिका से यह बात सिद्ध होती है—

क्र. सं.	श्रमिक संघ	सम्बद्ध यूनियनों की संख्या	कुल सदस्य संख्या
1.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1604	22,36,128
2.	भारतीय मजदूर संघ	1333	12,11,345
3.	हिन्द मजदूर सभा	426	7,62,882
4.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	134	6,21,359
5.	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1080	3,44,746
6.	सेण्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	1474	3,31,031
7.	नेशनल लेबर ऑर्गेइजेशन	172	2,46,450
8.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	175	1,65,614
9.	ट्रेड यूनियन कोआर्डीशन सेण्टर	65	1,23,048
10.	नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स	80	84,123

स्रोत—इण्डिया—1986 पृ. 538

Scanned with CamScanner

श्रमिक संघों की विशेषताएँ—भारतीय श्रमिक संघों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. भारतीय श्रमिक संगठन सुसंगठित नहीं है जिससे सरकार पर उनका पूरा दबाव नहीं पड़ता।
2. भारतीय श्रमिक संगठन राजनीतिक दलों के नियन्त्रण में कार्य करते हैं जिससे राजनीतिक दल श्रमिकों के हितों की अपेक्षा दलों के हितों को अधिक महत्त्व देते हैं।
3. श्रमिक संगठनों के विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध होने के कारण उनमें पारस्परिक मतभेद पाया जाता है।
4. अधिकांश श्रमिकों के अशिक्षित होने के कारण उनका नेतृत्व श्रमिकों के हाथों में न होकर मंत्री या राजनीतिक नेताओं के हाथों में होता है।
5. श्रमिक संगठनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इसलिए वे अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रचारित नहीं कर पाते।
6. श्रमिक संगठन यद्यपि अपनी कुछ मांगें मनवाने में सफल हुए, जैसे—मजदूरी की दरें बढ़वाना, कार्य करने की दशाओं में सुधार आदि, परन्तु ये सफलता उन्हें पारस्परिक वार्ता और विवादों के माध्यम से प्राप्त हुई है, सामूहिक सौदेबाजी से नहीं।

व्यावसायिक संघों का उद्देश्य व्यवसायियों के राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। इन संगठनों ने सरकारी नीतियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इनमें मुख्य हैं—फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (F.I.C.C.I.), एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑल इण्डिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन। इस संगठन का राजनीतिक दलों से सम्बन्ध होता है। यह संसद से सम्पर्क रखता है। इसके मंत्रियों और स्थायी कर्मचारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क होते हैं। इसका प्रेस पर नियन्त्रण है क्योंकि प्रेस बड़े पूँजीपतियों द्वारा चलायी जाती है, उदाहरणार्थ—'टाइम्स ऑफ इण्डिया', 'इकोनोमिक टाइम्स'— डालमिया जैन द्वारा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' 'ईस्टर्न इकोनोमिक' बिड़ला द्वारा 'स्टेटसमैन और कॉमर्स' टाटा और मफतलाल द्वारा, 'इण्डियन एक्सप्रेस' और फाइनेंशियल एक्सप्रेस' गोइनका द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन समाचार-पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं द्वारा व्यापारिक संघ सरकार के निर्णय तथा समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं।

कृषक समुदाय—19वीं शताब्दी के आरम्भ में कृषक आन्दोलन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में शुरू हुए लेकिन उन आन्दोलनों का कोई असर नहीं हुआ। 1917 में गांधी जी ने चम्पारन के किसानों को संगठित किया। 1918 में गुजरात में लगान वसूली के खिलाफ किसानों से सत्याग्रह कराया। 1928 में लगान के विरुद्ध 'बारदोली सत्याग्रह' कराया। 1932 में जूट और कपास के उत्पादकों को कांग्रेस ने संगठित किया। 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में एक कृषि सुधार योजना अपनायी गयी। इसके लिए इसी वर्ष कुछ कांग्रेसियों और साम्यवादी दल के नेताओं द्वारा 'ऑल इण्डिया किसान कांग्रेस' की स्थापना की गयी। कुछ कांग्रेसियों ने इस संगठन का विरोध किया, इसलिए 1937 में इस संगठन का नाम बदल कर 'ऑल इण्डिया किसान सभा' कर दिया गया।

यह संगठन आज भी साम्यवादी दल के नियन्त्रण में है। इसी तरह अन्य दलों ने भी कृषक संगठन बनाये; जैसे—समाजवादी दल ने **'हिन्द किसान पंचायत'** तथा वामपंथी दलों ने **'संयुक्त किसान सभा'**। किसान लॉबी के प्रभाव के कारण सरकार कृषि पर आय कर नहीं लगा सकी है। मार्च 1977 के चुनावों के बाद स्थापित जनता पार्टी शासन में किसान लॉबी का प्रभाव बढ़ा। चौ. चरणसिंह ने 'किसान रैली' और 'किसान सम्मेलन' के माध्यम से किसानों में संगठित करने का प्रयास किया। चौ. चरणसिंह ने वित्तमंत्री के रूप में अपने बजट में खाद, डीजल, कृषि उत्पादन आदि पर किसानों को कुछ रियायतें देने का प्रयत्न किया।

गुजरात में 'भारतीय किसान संघ' ने सितम्बर 1986 से मार्च 1987 तक 17 विराट प्रदर्शन तथा कई रैलियाँ निकालीं।

उत्तर प्रदेश में 'भारतीय किसान यूनियन' के नाम से एक किसान संगठन का निर्माण किया जिसे चौधरी महेन्द्रसिंह टिकैत का चमत्कारी नेतृत्व मिला। इस संगठन का उत्तर प्रदेश सरकार से टकराव हुआ। 25

Scanned with CamScanner

अक्टूबर, 1988 से 3 अक्टूबर, 1988 तक नई दिल्ली के इण्डिया गेट के आगे बोट क्लब पर लगभग 2 लाख किसानों ने हिस्सा लेकर अपनी संगठन की शक्ति का प्रदर्शन किया।

छात्र समुदाय—छात्र समुदाय ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। 1921 में गांधी के असहयोग आन्दोलन में छात्रों ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से अपना नाता तोड़ लिया था। छात्रों के संगठनों का सम्बन्ध राजनीतिक दलों से रहा है; उदाहरणार्थ—'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' (ABVP) का सम्बन्ध भारतीय जनता पार्टी से 'स्टूडेण्ट फेडरेशन' का सम्बन्ध साम्यवादी दल से, 'नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेण्ट्स आर्गेनाइजेशन' का सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी से है। इन संगठनों को ये राजनीतिक दल ही आर्थिक सहायता करते हैं। कभी-कभी राजनीतिक दलों के आह्वान पर ये छात्र संगठन हड़ताल, बन्द, घेराव जैसे कार्य भी करते रहते हैं।

सरकारी कर्मचारी संघ भी गलत सरकारी नीतियों का विरोध अपने तरीके से करते रहते हैं। इन संगठनों ने वेतन संशोधन तथा मंहगाई भत्ते की मांगें भी पूरी कराने के लिए हड़ताल, बन्द आदि का आश्रय लिया है। इनमें मुख्य हैं— 'ऑल इण्डिया रेलवे मैन एसोसिएशन', 'ऑल इण्डिया पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन', 'ऑल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन' आदि।

साम्प्रदायिक संगठन भी अपने संगठन बनाते हैं; जैसे—'हिन्दू महासभा', 'कायस्थ सभा', 'भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय परिषद', 'पारसी एसोसिएशन' आदि। इस संगठन की अपनी विशिष्ट मांगें होती हैं। उन्हीं को प्राप्त कराने के लिए ये सरकार को प्रभावित करते हैं।

3. भारतीय राजनीति में असमुदायात्मक दबाव समूह (The Non-Associational Pressure Groups in Indian Politics)

ये समूह संगठित नहीं होते। ये अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनमें मुख्य निम्न ये हैं—

साम्प्रदायिक तथा धार्मिक समुदाय—इनमें आने वाले संगठनों के कुछ नाम इस प्रकार हैं—मुस्लिम मजलिस, विश्व हिन्दू परिषद, बाबरी एक्शन कमेटी, जमायत-ए-इस्लाम-ए-हिन्द, जमायत-ए-इस्लाम, जैन समाज, चर्च, वैष्णव समाज, नय्यर सेवा समाज आदि। इनकी अपनी पाठशाला, विश्वविद्यालय, छात्रावास आदि हैं। ये निर्वाचनों में सक्रिय होकर प्रत्याशियों के लिए कार्य करते हैं।

जातीय समुदाय—भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत समय से रहा है। जाति अपने को संगठित करके राजनीतिक हितों को प्राप्त करना चाहती है। तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, आन्ध्र प्रदेश में काम्मा और रेड्डी जाति समुदाय, राजस्थान में जाट और राजपूत, गुजरात में क्षत्रिय महासभा आदि ने संगठित होकर राजनीतिक को प्रभावित करने का प्रयास किया है। जाटों ने तेरहवीं लोकसभा में आरक्षण की माँग, की जिसे अगस्त 1999 स्वीकार कर लिया गया। आज जाति का प्रभाव प्रत्याशी चुनने में, मन्त्रिमण्डल गठन में, मतदान करते समय देखा जा सकता है।

गांधीवादी समुदाय—गांधीवादी संगठन के अनेक उदाहरण हैं, जैसे—सर्वसेवा संघ, सर्वोदय, भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान आदि। इनका प्रभाव शासकीय नीतियों पर बहुत पड़ा है। इनका कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। इनके प्रमुख नेता आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेकर, दादा धर्माधिकारी आदि रहे हैं।

भाषागत समुदाय ने भी राजनीति के महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राज्यों का बँटवारा भाषा के आधार पर हुआ है, जैसे—1953 में आन्ध्र प्रदेश का निर्माण, 1960 में मुम्बई राज्य का विभाजन और महाराष्ट्र एवं गुजरात का निर्माण, 1966 में पंजाब का विभाजन। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को राजकीय मान्यता प्राप्त सूची में स्थान दिलाना भाषागत आधार पर किये गये कार्य हैं।

सिण्डीकेट 1960-70 तक इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में रहा। यह शब्द एक संगठन के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता और मुख्यमन्त्री थे। उन्होंने नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में लालबहादुर शास्त्री के चयन में कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में, इन्दिरा गांधी को 1966 में प्रधानमन्त्री बनाने में, चौथे आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को उप-प्रधानमन्त्री बनाने में इसने महत्त्वपूर्ण

Scanned with CamScanner

भूमिका निभायी थी। धीरे-धीरे इसका प्रभाव कम होता गया और 1969 में कांग्रेस के विभाजन के साथ इसका प्रभाव समाप्त है।

युवा तुर्क (Young Turks)—इसका प्रादुर्भाव भारतीय राजनीति में 1969 के पश्चात् होता है। यह एक वामपंथी संगठन है। ये समाजवादी निर्णयों पर बल देते हैं। भारतीय संविधान में 24वें, 25वें और 26वें संशोधनों पर वामपंथी गुटों का प्रभाव है।

4. भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव समूह (Anomic Pressure Group in Indian Politics)

प्रदर्शन समूहों में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा सिख स्टूडेन्टस फेडरेशन, खालिस्तान कमान्डो फोर्स (पंजाब), उल्फा (असम), रणवीर सेना (बिहार) आदि प्रमुख हैं। इनका उद्देश्य राजनीतिक हत्या, हिंसा, दंगे, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, आग लगाना, विरोध दिवस मनाना आदि होता है। इनका तर्क यह होता है कि सरकार लोगों की न्यायोचित माँगों की ओर ध्यान नहीं देती। शान्तिपूर्ण माँगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये दबाव गुट इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

दबाव समूहों के दोष (Defects of Pressure Groups)

भारतीय दबाव गुटों के अनेक दोष देखे जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. दबाव समूह क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं है।
2. दबाव गुट संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा देते हैं।
3. जाति समुदाय धर्म को बढ़ावा देते हैं।
4. ये समूह हिंसा, अनशन, सत्याग्रह, हड़ताल आदि अवैधानिक साधनों का सहारा लेते हैं।
5. विदेशी सहायता से प्रभावित होते हैं।
6. भारत में दबाव गुटों की कार्यशैली गुप्त रखी जाती है, जन- सामान्य का उसकी सूचना नहीं मिलती।
7. दबाव गुट रिश्वत और धन देकर विधायकों को अपनी ओर कर लेते हैं और अपने हित में नीतियाँ बनवाते हैं।
8. सरकारी कर्मचारियों द्वारा अचानक काम बन्द कर देने से प्रशासन ठप्प हो जाता है जिससे जनता को बहुत असुविधा होती है।

दबाव गुटों के दोषों को दूर करने का उपाय

अनेक दोषों के होते हुए भी दबाव गुट आज अपनी अनिवार्यता को बढ़ाते जा रहे हैं। लोकतन्त्र में विचाराभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होता है इसलिए अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। दबाव समूहों के सुधारने की क्या विधि हो, इस पर विचार करना है। दबाव समूह भी वर्गों के माध्यम से जनता की ही आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। (क्योंकि वर्ग भी जनता में से ही बने हैं) अतः इनमें इन सुधारों की आवश्यकता है—

1. दबाव गुटों को आवश्यक रूप से पंजीकृत कराना चाहिए।
2. दबाव गुटों के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए।
3. दबाव गुटों के आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रकाशित होना चाहिए।
4. दबाव गुटों के सदस्यों की संख्या का विवरण भी प्रकाशित होना चाहिए।
5. दबाव गुटों का संविधान होना चाहिए।
6. दबाव गुटों के द्वारा किये जाने वाले अनुचित कार्यों को रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठाये।

प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. दबाव समूह से आप क्या समझते है ? इनके प्रकार बताइए।
2. दबाव समूहों की परिभाषा देतेहुए इनके गुण दोष बताइए।
3. राजनीतिक दल और दबाव समूह में अन्तर बताइए।

Scanned with CamScanner